संशोधन आदेश

संख्या- 41 /2016 / 266 / चार-2016-135 (वि0)/2005टीसी

प्रेषक,

तुलसी राम
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 29 फरवरी, 2016

विषय:-वित्तीय वर्ष 2015-16 में आल इण्डिया कैफी आजमी, गुरूद्धारा रोड पेपर मिल कालोनी, लखनऊ में कला केन्द्र के निर्माण के शासनादेश में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3256/सं0नि0-6(18)/2010-11 दिनांक 23 फरवरी, 2016 तथा शासनादेश संख्या-28/2016/4153/चार-2015-135(वि0)/2005टीसी दिनांक 15 फरवरी , 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-28/2016/4153/चार-2015-135(वि0)/2005टीसी दिनांक 15 फरवरी , 2016 के प्रस्तर-4 में लेखाशीर्षक में टंकक त्रुटिवंश 04-कला एवं संस्कृति छूट गया है, जिसे अब निम्नवत् पढा जाय:-

" अनुदान संख्या-92- के लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय- आयोजनागत- 04-कला तथा संस्कृति -800-अन्य व्यय-30- आल इण्डिया कैफी आजमी अकादमी,गुरूद्धारा रोड, पेपर मिल कालोनी ,लखनऊ में कला केन्द्र का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य मद पढा जाय।"

उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश में नियम एवं शर्ते यथावत रहेगी।

भवदीय,

(तुलसी राम)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

संख्या 41 /2016 /266 (1)/चार-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम,/लेखा परीक्षा प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।

4- सचिव, आल इण्डिया कैफी आजमी,राजाजीपुरम् लखनऊ ।

5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

6 - वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(मनोज कुमार सिंह)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।